रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 1973/भाद्र 5, 1895
No. 2] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 1973/BHADRA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RESERVE BANK OF INDIA
(Department of Non-Banking Companies)
NOTIFICATION

Calcutta, the 23rd August 1973

No. DNBC.21/DG(S)-73.—The Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest to give the directions mentioned below, hereby, in exercise of the powers conferred on it by sections 45J and 45K of the Reserve Bank of India Act, 1934, gives the directions hereinafter specified.

PART I—*Preliminary*

1. **Short title and commencement of the directions.**—These directions shall be known as the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1973. They shall come into force with effect from the 1st September 1973 and any reference in these directions to the commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date.

2. **Extent of the directions.**—These directions shall apply to every non-banking institution, which is a company, not being a banking or an insurance company, and which carries on any of the following types of business:—

(1) collecting whether as a promoter, foreman, agent or in any other capacity, monies in one lump sum or in instalments by way of contributions, or subscriptions or by sale of units, certificates or other instruments or in any other manner or as membership fees or admis-

sion fees or service charges to or in respect of any savings, mutual benefit, thrift, or any other scheme or arrangement by whatever name called, and utilising the monies so collected or any part thereof or the income accruing from investment or other use of such monies for all or any of the following purposes—

(a) giving or awarding periodically or otherwise to a specified number of subscribers as determined by lot, draw or in any other manner, prizes or gifts in cash or in kind, whether or not the recepient of the prize or gift is under a liability, to make any further payment in respect of such scheme or arrangement;

(b) refunding to the subscribers or such of them as have not won any prize or gift, the whole or part of the subscriptions, contributions, or other monies collected, with or without any bonus, premium, interest or other advantage, however, called, on the termination of the scheme or arrangement, or, on or after the expiry of the period stipulated therein.

(2) managing, conducting or supervising as a promoter foreman or agent of any transaction or arrangement by which the company enters into an agreement with a specified number or subscribers that every one of them shall subscribe a certain sum in instalments over a definite period and that every one of such subscriber shall in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be provided for in the agreement be entitled to the prize amount;

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph, the expression "prize amount" shall mean the amount, by whatever name it be called, arrived at by deduction from out of the total amount subscribed at each instalment by all subscribers, (a) the commission charged by the company or service charges as a promoter or a foreman or an agent and (b) any sum which a subscriber agrees to forego, from out of the total subscriptions of each instalment, in consideration of the balance being paid to him.

(3) conducting any other form of chit or kuri which is different from the type of business referred to in sub-paragraph (2) above;

(4) undertaking or carrying on or engaging in or executing any other business similar to the business referred to in sub-paragraphs (1) to (3).

3. **Definitions.**—(1) In these directions, unless the context otherwise requires,

(a) "advertisement" means any matter published on behalf of the company in a newspaper and any other written or printed matter published in the form of a notice, prospectus, circular or other document or any other material or text appearing on posters, bill boards and hoardings and includes any matter appearing on lantern slides or exposed cinematograph films;

(b) "banking company" means a banking company as defined in section 5(c) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(c) "company" means a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes a foreign company within the meaning of section 591 of the said Act but does not include a company which is being wound up under any law for the time being in force;

(d) "deposit" means any deposit of money with, and includes any amount borrowed by, a company, but does not include—

(i) any money received or collected under a transaction or arrangement referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 2;

(ii) any money received from or guaranteed by the Central Government or a State Government or any loan received from a local authority or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or persons;

(iii) any money received from a banking company or from the State Bank of India or from a banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or a corresponding new bank as defined in section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or from a co-operative bank as defined in clause (bii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(iv) any loan received from the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 or the Industrial Finance Corporation of India established under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 or a State Financial Corporation established under the State Financial Corporations Act, 1951 or the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd. or the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. or the National Industrial Development Corporation of India Ltd. or the Shipping Development Fund Committee or the Life Insurance Corporation of India or the Rehabilitation Industries Corporation of India Ltd. or an Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 or the State Trading Corporation of India Ltd. or the Rural Electrification Corporation Ltd. or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. or the Agricultural Finance Corporation Ltd. or the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. or the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd. or any other financial institution that may be notified by the Reserve Bank in this behalf;

(v) any money received by a company from any other company;

(vi) any money received from a person, who, at the time of the receipt of the loan was or is a director of the company or any money received by a private company from its shareholders:

Provided that, in the case of any money received on or after the commencement of these directions the person from whom the money is received has furnished to the company at the time when the money is received, a declaration by such person, in writing, that the money has not been given by such person out of funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person;

(vii) any money received from an employee of the company by way of security deposit;

(viii) any money received by way of subscription to any shares or stock or any bonds or debentures (such bonds or debentures being secured by a charge on or lien on the assets of the company) pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and any money received by way of calls in advance on shares in accordance with the company's articles of association so long as such money is not repayable to the members under the articles of association of the company.

(e) "depositor" includes any person who has given a loan;

(f) "foreman" means a person who under the chit or kuri agreement or any other scheme or arrangement is responsible for the conduct of the chit or kuri or such scheme or arrangement;

(g) "free reserves" shall include all sums shown or published in the balance sheet or in the profit and loss account of the company as being retained for any general or unspecified purpose and any statutory development rebate reserve created under sub-section (2) of section 10 of the Income-tax Act, 1922 or sub-section (3) of section 34 of the Income-tax Act 1961 or any reserve for development allowance created under sub-section (3) of section 33A of the Income-tax Act, 1961 or under any other law which is for the time being in force but shall not include depreciation and renewal reserves or other reserves which may be earmarked or declared by the company to be earmarked for any specified purpose;

(h) "insurance company" means any company registered for any class of insurance business under section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(i) "miscellaneous non-banking company" means a company carrying on any of the types of business referred to in paragraph 2 of these directions;

(j) any other words or expressions used but not defined herein and defined in the Companies Act 1956 (1 of 1956) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act;

(k) the date on which an advertisement is issued shall for the purpose of these directions be deemed—

(i) if the advertisement is published in any newspaper, to be the date on which it is so published, and

(ii) if the advertisement is not published in any newspaper, to be the date on which the text thereof has been approved by the manager of the company.

(2) If any question arises whether the business of a company is such as is referred to in paragraph 2 of these directions, the Reserve Bank's decision thereon shall be final:

Provided that before arriving at a decision in regard to any such question, the Reserve Bank shall have regard to the following considerations and circumstances, namely:—

(i) the nature of the business conducted by it including the sources of its finance and the utilisation of its funds;

(ii) the relevant provisions of its Memorandum of Association; and

(iii) the nature and sources of its income.

PART II—*Acceptance of Deposits*

4. Acceptance of deposits by miscellaneous non-banking companies.—On and from the 1st September 1973—

(a) no miscellaneous non-banking company shall receive any deposit repayable on demand, or on notice, or repayable after a period of less than six months from the date of receipt of such deposit, or renew any deposit received by it whether before or after the date of commencement of these directions, unless such deposit, on renewal, is repayable not earlier than six months from the date of such renewal;

(b) no miscellaneous non-banking company shall receive any deposit, which together with any other deposits falling under the same category (as specified hereinafter), already received and outstanding on the books of the company, is in excess of the limits hereinafter specified in respect of each of the following categories of deposits, namely—

(i) in the case of a deposit received against an unsecured debenture, or from a shareholder (not being a deposit received by a private company from its shareholder on a declaration as is referred to in the proviso to sub-clause (vi) of clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph (3) or a deposit guaranteed by a person, who, at the time of giving of the guarantee was or is a director of the company, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company;

(ii) in the case of any other deposit, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company.

Provided that for the purpose of clause (b), "deposit" shall not include any loan secured by the creation of a mortgage or pledge of the assets of the company or any part thereof—

(a) if there is a margin of at least twenty-five per cent of the market value of the assets charged as security for the loan; and

(b) in case more than twenty persons are given the same assets as security for the loan, the mortgage or pledge, as he case may be, is also created in favour of a trustee, which should be either a scheduled commercial bank or an executor and trustee company which is a subsidiary of such scheduled commercial bank and the company has executed a trust deed in favour of the scheduled commercial bank or its subsidiary, as the case may be:

Provided further that if the Reserve Bank is satisfied that a mortgage or a pledge created by a company is not in the public interest, it may declare that the deposits sought to be secured by such mortgage or pledge shall still be deemed to be deposits, and shall not be entitled to the benefit of the first proviso.

5. Provision in respect of existing deposits of miscellaneous non-banking companies.—(1) Where, as at the commencement of the business on the 1st September 1973, the aggregate of deposits of a miscellaneous non-banking company of the kinds referred to in sub-clauses (i) and (ii) respectively of clause (b) of

paragraph 4 is in excess of twenty-five per cent of the aggregate of its paid-up capital and free reserves, such company shall secure that—

(a) at least one-third of the said excess shall be reduced before the 1st October 1974;

(b) at least another one-third of the said excess shall be reduced before the 1st October 1975; and

(c) the balance, if any, of the said excess shall be reduced before the 1st October, 1976,

by the repayment of the deposits as and when they mature for payment or in such other manner as may be necessary for complying with this provision.

(2) Every miscellaneous non-banking company which as at the commencement of business on the 1st September 1973, holds any deposits of one or more of the kinds referred to in paragraph (1) and repayable on demand or on notice or after a period of less than six months from the date of receipt of such deposits shall—

(a) if the total amount of such deposits is not in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves of the company, secure before the 1st October, 1974, by taking such steps as may be necessary for this purpose, that the said deposits are either repaid or converted or renewed so as to make them repayable not earlier than six months from the date of conversion or renewal;

(b) if the total amount of such deposits is in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves of the company, secure by taking such steps as may be necessary for this purpose that—

(i) before the 1st October 1974, at least so much of such deposits equal to twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves;

(ii) before the 1st October 1975, at least one-half of the balance of such deposits; and

(iii) before the 1st October 1976, the remaining position, if any, of such deposits,

is either repaid or converted or renewed so as to make them repayable not earlier than six months from the date of conversion or renewal.

Explanation.—In arriving at the aggregate of the paid-up capital and free reserves for the purposes of this paragraph and paragraph 4, there shall be deducted from the aggregate of the paid-up capital and free reserves, as appearing in the balance-sheet of the company, the amount of accumulated balance of loss, if any, disclosed in the balance-sheet.

6. **Particulars to be specified in advertisements soliciting deposits.**—(1) No miscellaneous non-banking company and no other person on behalf of such a company shall issue or cause to be issued any advertisements soliciting or inviting deposits unless such advertisement is issued on the authority and in the name of the Board of Directors or the Managing Director or the manager of the company and carries a reference to the date on which the said Board of Directors or the Managing Director or the manager has approved of the text of the advertisement and contains, in addition, the following information, namely:—

(a) the date of incorporation of the company,

(b) brief particulars of the management of the company,

(c) the nature of business actually carried on by the company and its subsidiaries, if any,

(d) profits of the company, before and after making provision for tax, for the three preceding financial years,

(e) dividends declared by the company in respect of the said years,

(f) particulars relating to the company as on the date of the latest audited balance sheet of the company (which date shall also be stated) under the following heads, that is to say—

(i) paid-up capital,

(ii) free reserves,

(iii) deposits,

(iv) any loan or advance obtained by the company and secured by a mortgage or charge including a floating charge or by any other lien on the property of the company, including temporary loans as defined in section 293 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956),

(v) any other amount borrowed by the company, including temporary loans as aforesaid, and

(vi) accumulated balance of loss, if any.

(2) On and from the 1st January 1974, no miscellaneous non-banking company shall accept, renew or convert any deposit, except on a written application by the depositor on the form to be supplied by the company, which form should contain all the particulars specified in sub-paragraph (1) of this paragraph.

7. **Furnishing of receipts to depositors.**—(1) Every miscellaneous non-banking company shall furnish to every depositor or his agent, unless it has done so already, a receipt for every amount which has been or which may be received by the company by way of deposit before or after the date of commencement of these directions.

(2) The said receipt shall be duly signed by an officer entitled to act for the company in this behalf and shall state the date of deposit, the name of the depositor, the amount received by the company by way of deposit, in words and figures, the rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable.

8. **Register of deposits.**—(1) Every miscellaneous non-banking company shall keep one or more registers in which shall be entered separately in the case of each depositor the following particulars, namely,

(a) name and address of the depositor,

(b) date and amount of each deposit,

(c) duration and the due date of each deposit,

(d) date and amount of accrued interest or premium on each deposit,

(e) date and amount of each repayment, whether of principal, interest or premium,

(f) any other particulars relating to the deposit.

(2) The register or registers aforesaid shall be kept at the registered office of the company and shall be preserved in good order for a period of not less than eight calendar years following the financial year in which the latest entry is made of the repayment or renewal of any deposit of which particulars are contained in the register:

Provided that if the company keeps the books of account referred to in sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) at any place other than its registered office in accordance with the proviso to that sub-section it shall be sufficient compliance with this clause if the register aforesaid is kept at such other place, subject to the condition that the company delivers to the Reserve Bank a copy of the notice filed with the Registrar under the proviso to the said sub-section within seven days of such filing.

9. **Information to be included in the Board's report.**—(1) In every report of the Board of Directors laid before a company in general meeting under sub-section (1) of section 217 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) after the date of commencement of these directions, there shall be included in the case of a miscellaneous non-banking company, the following particulars or information, namely:—

(a) the total number of depositors of the company whose deposits have not been claimed by the depositors or paid by the company after the date on which the deposit became due for repayment or renewal as the case may be according to the contract with the depositor or the provisions of these directions whichever may be applicable, and

(b) the amounts due to the depositors and remaining unclaimed or unpaid beyond the dates referred to in clause (a) as aforesaid.

(2) The said particulars or information shall be furnished with reference to the position as on the last date of the financial year to which the report relates

and if the amounts remaining unclaimed or undisbursed as referred to in clause (b) of the preceding sub-paragraph exceed in the aggregate the sum of rupees five lakhs, there shall also be included in the report a statement on the steps taken or proposed to be taken by the Board of Directors for the payment of the amounts due to the depositors and remaining unclaimed or undisbursed.

PART III—*Miscellaneous*

10. **Copies of balance sheet and accounts to be furnished to the Reserve Bank.**—Every miscellaneous non-banking company shall deliver to the Reserve Bank unless it has done so already, an audited balance sheet as on the last date of each financial year and an audited profit and loss account in respect of that year as passed by the company in general meeting within fifteen days of such meeting.

11. **Returns to be submitted to the Reserve Bank.**—(1) Without prejudice to the provisions of paragraph 10, every miscellaneous non-banking company shall submit to the Reserve Bank a return, furnishing the information specified in the Schedule hereto, with reference to its position as on the dates specified in the said Schedule.

(2) (i) Every miscellaneous non-banking company shall, not later than one month from the coming into force of these directions or from the commencement of business whichever is later, deliver to the Reserve Bank, a written statement containing a list of—

(a) the names and the official designations of its principal officers;

(b) the names and residential addresses of the directors of the company; and

(c) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the company, returns specified in sub-paragraph (1).

(ii) Any change in the list referred to in clause (i) of this sub-paragraph shall be intimated to the Reserve Bank within one month from the occurrence of such change.

12. **Balance sheet, returns etc. to be submitted to the Department of Non-Banking Companies.**—Any returns or information required to be submitted or furnished to the Reserve Bank in pursuance of these directions shall be submitted or furnished to the Bank in its Department of Non-Banking Companies, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1 or to any other office of the aforesaid department to which the company may be directed.

13. **Exemptions.**—The Reserve Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with, or exempt any company or class of companies from, all or any of the provisions of these directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the Reserve Bank may impose.

14. **Non-applicability of certain other directions.**—Nothing contained in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directoions, 1966 or in the Non-Banking Non-Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966 shall apply to a non-banking institution of the type referred to in paragraph 2 of these directions.

Confidential FORM-MNBC

SCHEDULE

[Please *see* paragraph 11 of the Notification No DNBC.21/DG(S)-73, dated the 23rd August 1973]

(This form is to be filled in by all miscellaneous non-banking companies)

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Non-Banking Companies, Calcutta-1)

PART I

Deposits with miscellaneous non-banking companies as on the 31st March 197 /30th September 197 .

Code No (1) Name of the Company..... . ...

(2) Full Address of the

(a) Registered Office.....

(b) Head/Administrative Office*.....

(3) State in which the company is registered.....

(4) No. of branches/offices**.....

(5) Status*: Private/Public limited company/branch of a foreign company.....

(6) Registration No. of the company.....

(7) Date of—

(a) Incorporation .....

(b) Commencement of business .....

(8) Financial year of the company.....

(9) Name(s) of the company's banker(s) and address(es) .....

Instructions for Filling the Return

1. The return should be submitted *twice* a year before 30th June and 30th December with reference to the company's position as on the 31st March and the 30th September respectively, irrespective of the date of the financial year of the company.

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. In the case of any company which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, amounts received by way of subscriptions under the chit or kuri agreements will NOT be treated as deposits *vide* clause (i) of paragraph 3(1)(d) of the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1973 (hereinafter referred to in the Return as the Directions)—*vide* Notification No. DNBC.21/DG(S)-73, dated the 23rd August, 1973.

4. Unsecured borrowings with certain exceptions mentioned in paragraph 3(1)(d) of the Directions are treated as deposits.

5. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousand and three zeros omitted. For example, an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5000.

6. Any money received which is specifically excluded from the term 'deposit' in sub-clauses (i) to (viii) of paragraph 3(1)(d) of the Directions should be classified against different Code Nos. under item IV in Sections (i), (ii) and (iii) of this Part of the return.

7. The periodwise classification of deposits reported in Section (ii) of the return should be made against the various Code Nos. under items I & II according to the periods for which they were originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March or the 30th September i.e. the dates of the return. Amounts with no specified period of maturity or repayable in instalments should be shown against Code Nos. 1, 10 and 18 under the above items respectively and the position explained suitably by footnotes.

8. Deposits and exempted borrowings and receipts bearing no interest should be classified against Code Nos. 1, 8, 15 and 22 under items I, II, III and IV respectively in Section (iii) of this Part.

---

*Strike off whatever is not applicable.

**A list showing the names and addresses of the places where the branches/offices of the company are situated should be enclosed.

NOTE.—The return, after compilation, should be sent to the Chief Officer, Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1.

9. Only those reserves which are *shown* or *published* in the balance sheet of the company as being retained for any *general* or *unspecified* purpose should be treated as "free reserves" and shown in Section (iv) of this Part and Part II of the return. Any other reserve, the nomenclature of which as shown in the audited balance sheet indicates that it has been set apart for a specific purpose, should not be taken into account notwithstanding the actual purpose for which it has been created. The following reserves are generally treated as free reserves:

(i) General Reserve
(ii) Capital Reserve
(iii) Capital Redemption Reserve
(iv) Contingency Reserve
(v) Statutory Development Rebate Reserve or Development Allowance Reserve
(vi) Balance in share-premium account
(vii) Surplus which is in the nature of general reserve

10. A list containing the names and the official designations of the principal officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank of India as required in paragraph 11(2) of the Directions.

11. The return should be signed by the Manager (as defined in section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

12. In case there is nothing to report in any Section of the return, it should be marked 'Nil' and the Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate appended thereto should be duly signed.

SECTION (i)

Deposits, etc. outstanding

As on the 31st March 197
the 30th September 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	No. of accounts	Amount (in thousands of rupees)
	I. *Deposits of the kinds referred to in paragraph 4 (b) (i) of the Directions*		
1	(*a*) Unsecured debentures		
2	(*b*) Deposits including unsecured loans received from shareholders (not being shareholders of a *private* limited company)		
3	(*c*) Deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity		
4	(*d*) Total (a+b+c)		

1	2	3	4
	II. *Deposits of the kind referred to in paragraph 4(b) (ii) of the Directors*		
5	(*e*) Fixed Deposits		
5A	III. (*ee*) Any other deposits such as deposits collected in one lump sum or in instalments by way of contributions or subscriptions or by sale of units, certificates or other instruments or as membership fees or admission fees or service charges to or in respect of any scheme or arrangement floated by the company		
6	(*f*) Total (e e)		
7	(*g*) Total of (I) + (II) + (III)		
	IV. *Exempted borrowings and receipts not counting as deposits [vide paragraph 3(1) (d) (i) to (viii) of the Directions]*		
8	(*h*) Money received or collected under a transaction or arrangement referred to in paragraph 2 (2) of the Directions		
9	(*i*) Money received from directors**		
10	(*j*) Money received from shareholders** in the case of a private limited company		
11	(*k*) Security deposits from employees		
12	(*l*) Money received from joint stock companies (including companies in the same group) . . .		
13	(*m*) Borrowing from banks and other specified institutions		
14	(*n*) Money received from foreign sources . . .		
15	(*o*) Secured deposits [*vide* 1st proviso to paragraph 4 (*b*)]		
16	(*p*) Other exempted borrowings and receipts not counting as deposits		
17	(*q*) Total (*h*) to (*p*)		
18	V. Total of I, II, III and IV above		

**Please note that only money received from such persons on a declaration as is referred to in the proviso to sub-clause (*vi*) of clause (*d*) of paragraph 3 (1) is exempt.

SECTION (ii)

Period of Deposits etc.

As on the 31st March 197

30th September 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Period of deposits, exempted borrowings and receipts (Please see Instruction No. 7)	No.of Accounts	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3	4	5	6
0	I. Deposits received in the form of unsecured debentures, deposits including unsecured loans from shareholders [not being deposits received by	1	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 3 months		
		2	Repayable after a period of 3 months or more but less than 6 months		

1	2	3	4	5	6
	a private limited company from its share-holders on a declaration as is referred to in the proviso to sub-clause (*vi*) of clause (*d*) of paragraph 3 (1)] and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	3	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months .		
		4	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		5	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		6	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months .		
		7	Repayable after a period of 60 months or more .		
		8	Total of 1 to 7 [*See* Note No. (*i*)]		
00	II. Deposits *i.e.* fixed deposits	9	Overdue and/or unclaimed		
		10	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above .		
		11	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		12	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months .		
		13	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months . . .		
		14	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		15	Repayable after a period of 60 months or more .		
		16	Total of 9 to 15 [*See* Note No. (*ii*)]		
000	III. Any other deposits such as deposits collected in one lump sum or in instalments by way of contributions or subscriptions or by sale of units, certificates or other instruments or as membership fees or admission fees or service charges to or in respect of any scheme or arrangement floated by the company.	17	Overdue and/or unclaimed		
		18	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above		
		19	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		

1	2	3	4	5	6
		20	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		21	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		22	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		23	Repayable after a period of 60 months or more		
		24	Total of 17 to 23 [*See* Note No. (*iii*)]		
·0000	IV. Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from shareholders** in the case of private limited companies or directors, **employees by way of security deposits, or money received from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	25	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months		
		26	Repayable by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months .		
		27	Repayable by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months . . .		
		28	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		29	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		30	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 60 months or more .		
		31	Total of 25 to 30 . [*See* Note No. (*iv*)]		
·00000	V. Total of I, II, III and IV .		[*See* Note No. (*v*))] .		

**Please note that only money received from such persons on a declaration as is referred to in the proviso to sub-clause (*vi*) of clause (*d*) of paragraph 3 (1) is exempt.

NOTE.—(*i*) The totals of Code No. 8 should tally with those of Code No. 4 of Secton(*i*).

(*ii*) The totals of Code No. 16 should tally with those of Code No. 5 of Section (i).

(*iii*) The totals of Code No. 24 should tally with those of Code No. 5A of Section (i).

(*iv*) Total of Code No. 31 should tally with the total of Code No. 17 of Section (i).

(*v*) Total of item No. V should tally with the total of Item No. V of Section (i).

SECTION(iii)

Rates of interest (exclusive of brokerage) on Deposits, etc.

As on the 31st March 197
30th September 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Rate of interest	Amount (in thousands of rupees)
o	I. Deposits received in the form of unsecured debentures, deposits including unsecured loans from shareholders [not being deposits received by a private company from its share holders on a declaration as is referred to in the proviso to sub-clause (vi) of clause (d) of paragraph 3(1)] and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	5% and below	
		2	More than 5% but less than 7%	
		3	7% or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%	
		5	10% or more but less than 12%	
		6	12% or more	
		7	Total of 1 to 6	
oo	II. Deposits *i.e.* fixed deposits	8	5% and below	
		9	More than 5% but less than 7%	
		10	7% or more but less than 9%	
		11	9% or more but less than 10%	
		12	10% or more but less than 12%	
		13	12% or more	
		14	Total of 8 to 13	
ooo	III. Any other deposits such as deposits collected in one lumpsum or in instalments by way of contributions or subscriptions or by sale of units, certificates or other instruments or as membership fees or admission fees or service charges to or in respect of any scheme or arrangement floated by the Company.	15	5% and below	
		16	More than 5% but less than 7%	
		17	7% or more but less than 9%	
		18	9% or more but less than 10%	
		19	10% or more but less than 12%	
		20	12% or more	
		21	Total of 15 to 20	
oooo	IV. Exempted borrowings and receipts, not counting as deposits *i.e.* from shareholders in the case of private limited companies or directors against a declaration referred to in Item I of this Section or employees by way of security deposits or monies received from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	22	5% and below	
		23	More than 5% but less than 7%	
		24	7% or more but less than 9%	
		25	9% or more but less than 10%	
		26	10% or more but less than 12%	
		27	12% or more	
		28	Total of 22 to 27	
ooooo	V. Total of I, II, III and IV			

NOTE.— (*i*) The totals of Code Nos. 7, 14, 21 and 28 should tally with those of Code Nos. 4, 5, 5A and 17 respectively of Section (i).

(*ii*) The total of item V must tally with that of item V of Section (i).

(*iii*) The term "interest" for the purposes of this Section shall include any bonus, premium or other advantage and particulars in regard thereto may be furnished by way of a separate note. Particulars of the brokerage, if any, paid should also be indicated separately in the note.

SECTION (iv)

Statement showing the position of deposits vis-a-vis *ceilings*

(A) Deposits of the kinds referred to in paragraph 4(b)(i) of the Directions and the prescribed ceiling.

(Amount in thousands of rupees)

Position as at the commencement of business on	Total deposits of the kinds referred to above *i.e.* total of Code No. 4 in Section (i)	Owned funds			Ceiling		Excess deposits, if any, over the ceiling (2-7)	*Please state whether the excess deposits have been adjusted as per paragraph 5(1) of the Directions. If not, reasons for non-compliance should be stated
		Paid-up capital	Free Reserves	Balance of loss, if any	Net owned funds (3+4)—5	(*i.e.* 25% of the net owned funds)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1st September 1973								
1st October 1974								
1st October 1975								
October 1976								

NOTE.—*At least one-third of the excess deposits as at the commencement of business on 1-9-1973 has to be reduced before 1-10-1974, another one-third of the excess as at the commencement of business on 1-9-1973, before 1-10-1975, and the balance, if any, of the said excess before 1-10-1976.

(B) Deposits of the kind referred to in paragraph 4(b)(ii) of the Directions and the ceiling.

(Amount in thousands of Rupees)

Position as at the commencement of business on	Total deposits of the kind referred to above *i.e.* total of Code No. 6 in Section (i)	Ceiling [*i.e.* 25% of the net owned funds *vide* Column 7 of Section (iv) (A)]	Excess deposits, if any, over the ceiling (2)—(3)	*Please state whether the excess deposits have been adjusted as per paragraph 5(1) of the Directions. If not, reasons for non-compliance should be stated.
1	2	3	4	5
1st September 1973				
1st October 1974				
1st October 1975				
1st October 1976				

NOTE.—*Please see the note appended to Part (A) of this Section.

SECTION (v)

Statement showing the regularisation of deposits of the kinds referred to in paragraph 4(b) of the Directions, repayable on demand or on notice or after a period of less than 6 months.

(Amount in thousands or rupees)

Position as at the commencement of business on	Total amount of deposits of the above kinds (*i.e.*) total of Code Nos. 1, 2, 10 and 18 of Section (ii)	25% of the net owned funds *vide* column 7 of section (iv) (A)	*Please state whether such deposits have been regularised as per paragraph 5(2) of the Directions. If not reasons for non-compliance should be stated.
1	2	3	4
1st September, 1973 .			
1st October 1974 . .			
1st October 1975 . .			
1st October 1976 . .			

NOTED—* (*i*) If the total amount of irregular deposits is not in excess of 25% of the company's net owned funds, such deposits should be regularised before 1-10-1974.

(*ii*) If the total amount of irregular deposits is in excess of 25% of the company's net owned funds, it should be regularised in the following manner:

(*a*) at least such deposits equal to 25% of the net owned funds before 1-10-1974.

(*b*) at least one-half of the balance before 1-10-1975, and

(*c*) the remaining portion before 1-10-1976.

PART—II

Comparative position of the company as per its audited balance sheet as at the date nearest to the date of this Return

(Amount in thousands of rupees

Particulars	Position as per the balance sheet as at	Position as per the Return as on 3-3-197	Reasons for variations, if any, may broadly be stated
1	2	3	4
A—Liabilities			
1. Paid-up capital . .			
2. Free Reserves . .			
3. Balance of loss, if any			
4. Deposits* . . .	@		
5. Exempted borrowings receipts . . .	£		
B—Assets			
6. Loans and advances .			
7. Investments in shares, debentures and other securities (Book value)			

1	2	3	4
8. Hire-purchase advances . . .			
9. Loans for financing the purchase of land or houses . . .			
10. Main sources of income (with particulars) .			

*Maximum aggregate of deposits during the year ended March 31st, 197/ September 30, 197 and the relevant date may be stated below:

(*i*) Maximum amount of deposits during the year (in thousands of rupees) . . . . . _____

(*ii*) Date of which the above maximum was accounted . _____

@The total of Code No. 7 in Section (i) should be shown here.

£The total of Code No. 17 in Section (i) should be shown here.

**Manager's/Managing Director's / Authorised Official's Certificate.*—(1) Certified that the deposits as reported in this return have been received or renewed for meeting the genuine business requirements of the company.

(2) Certified that declarations have been obtained, in writing, as required in terms of the proviso to paragraph 3(i)(d)(vi) of the Directions from the directors and shareholders** that the money has not been given by them to the company out of the funds acquired by them by borrowing or accepting deposits from another person, wherever necessary.

(3) Certified that the company has complied with the provisions of paragraph 6(1) of the Directions while soliciting deposits.

(4) Certified that deposits have been accepted, renewed or converted on or after the 1st January, 1974 in the manner prescribed in sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Directions.

(5) Certified that the company has complied with the requirements of paragraph 7 of the Directions.

(6) Certified that the Registers of Deposits are being maintained on the lines specified in paragraph 8 of the Directions.

(7) Certified that the particulars/information furnished in this Return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whatever Certificate is not applicable).

Date : Signature of *Manager/Managing Director/Authorised Official:

Name:
Designation:

Enclosures of the Return

The following documents should be submitted along with the Return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this Return. _____

(2) Specimen signature card (Please see Instruction No. 11) _____

(3) A copy of the application form referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Directions _____

(4) A copy each of the advertisements , if any issued during the half year ended the 31st March, 197/30th September, 197 . _____

(5) A li of Officers and Directors (Please see Instruction No. 10) ——————

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	Coded by :
			Checked by :
			Punched by :
			Verified by :

*Strike off whatever is not applicable.

**Applicable in the case of private limited companies only .

S. S. SHIRALKAR,
Deputy Governor.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग

अधिसूचना

कलकत्ता, 23 अगस्त 1973

सं० डी एन बी सी 21/डीजी (एस)–73.—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह विचार करे कि निम्नांकित निदेश देना लोकहित में आवश्यक है, इसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45 अ और 45ट के द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके आगे उल्लिखित निदेश जारी करता है ।

भाग i–प्रारंभिक

1. **लघु शीर्ष और निदेशों का प्रारंभ .**—ये निदेश विविध गैर बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1973 के रूप में अभिहित होंगे । ये 1 सितंबर 1973 से अमल में आएंगे और इन निदेशों में इनके आरंभ का जो कोई उल्लेख होगा उसका संबंध उस तारीख से माना जाएगा ।

2. **निदशों की परिसीमा .**—ये निदेश ऐसी प्रत्येक गैर बैंकिंग संस्था पर लागू होंगे जो कंपनी है, किन्तु कोई बैंकिंग या बीमा कंपनी नहीं है, और जो निम्नलिखित प्रकार के कारोबारों में से कोई कारोबार करती है :—

(1) चाहे प्रवर्तक, अग्रणी, एजेंट के रूप में या किसी दूसरी हैसियत से अंशदानों या अभिदानों के रूप में या यूनिटों, प्रमाणपत्रों या दूसरे प्रपत्रों की बिक्री के द्वारा या किसी दूसरे प्रकार से या किसी बचत, पारस्परिक लाभ, लाभकारी बचत या किसी दूसरी योजना या किसी भी नाम से अभिहित व्यवस्था के संदर्भ में या उसके लिए सदस्यता शुल्कों या प्रवेश शुल्कों या सेवा प्रभारों के रूप में एक मुश्त में या किस्तों में रकम एकत्र करना और इस प्रकार एकत्र की गई रकम या उसके किसी भाग या

ऐसी रकम के निवेश या दूसरे उपयोग से उपार्जित आय का निम्नलिखित सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करना —

(क) लाभ, निकाल (ड्रा) या किसी दूसरे प्रकार से अभिनिश्चित किये गये किसी निर्दिष्ट संख्या के अभिदाताओं को आवधिक रूप से या किसी दूसरे प्रकार से नकद या वस्तुओं में इनाम या उपहार देना या अधिनिर्णित करना, चाहे इनाम या उपकार पाने वाला ऐसी योजना या व्यवस्था के संबंध में कोई और अदायगी करने के दायित्व के अधीन हो या न हो ।

(ख) अभिदाताओं को या उनमें से ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई इनाम या उपहार नहीं पाया है, योजना या व्यवस्था की समाप्ति पर या, उस में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद एकत्र किये गये सभी अभिदानों, अंशदानों या दूसरी रकमों को या उनके अंश को किसी बोनस, प्रीमियम, ब्याज या किसी भी नाम से अभिहित दूसरे लाभ के साथ या बिना लौटाना ;

(2) किसी ऐसे लेनदेन या व्यवस्था का प्रवर्तक, अग्रणी या एजेंट के रूप में प्रबन्ध करना, संचालन करना या पर्यवेक्षण करना जिस के आधार पर कंपनी किसी निर्दिष्ट संख्या के अभिदाताओं के साथ यह करार करती है कि उन में से प्रत्येक व्यक्ति किसी निश्चित अवधि में अमुक रकम किश्तों में अभिदान करेगा और ऐसे अभिदाताओं में से प्रत्येक अभिदाता लॉट या नीलाम या निविदा द्वारा या करार में निर्धारित किसी दूसरे प्रकार से अभिनिश्चित की गयी अपनी बारी में इनामी रकम अधिकारी होगा ;

व्याख्या :—इस उप अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए 'इनामी रकम' शब्द से उस रकम का तात्पर्य लिया जाएगा, चाहे किसी भी नाम से वह अभिहित हो, जिसका निर्धारण सभी अभिदाताओं द्वारा प्रत्येक किश्त में अभिदत्त कुल रकम में से (क) कम्पनी द्वारा लिया गया कमीशन या प्रवर्तक या अग्रवती या एजेंट के रूप में लिए जाने वाले सेवा प्रभार और (ख) कोई ऐसी राशि जिसे प्रत्येक किश्त के कुल अभिदानों में से अभिदाता छोड़ देने की स्वीकृति देता है, काटकर, उसे अदा की जानेवाली बकाया राशि पर विचार करते हुए, किया जाता है ;

(3) चिट या कुरि के किसी दूसरे प्रकार का संचालन करना जो उपर्युक्त उप अनुच्छेद (2) में उल्लिखित कारोबार के प्रकार से भिन्न है;

4 (1) से (3) तक के उप अनुच्छेदों में उल्लिखित करोबार के समान कोई कारोबार शुरू करना या चलाना या किसी कारोबार में भाग लेना या किसी कारोबार का निष्पादन करना ।

3. **परिभाषाएं** .—(1) इन निदेशों में, जब तक कि प्रसंग अन्यथा अपेक्षा नहीं करता,

(क) "विज्ञापन" से कोई ऐसा विषय जो कंपनी की ओर से किसी समाचार पत्र में प्रकाशित है या किसी नोटिस, विवरण पत्र, परिपत्र या दूसरे दस्तावेज के रूप में प्रकाशित कोई दूसरा लिखित या मुद्रित विषय या पोस्टरों, बिल बोर्डों और होर्डिंगों में प्रकाशित कोई दूसरी वस्तु या विषय अभिप्रेत है और उस में

लालटेन स्लाइडों या अभिदर्शित सिनेमा फ़िल्मों में दिखाई पड़ने वाला कोई विषय शामिल है ;

(ख) "बैंकिंग कंपनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 949 (1949 का 10) की धारा 5 (ग) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है ;

(ग) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और उस में उक्त अधिनियम की धारा 591 के तात्पर्य के भीतर आने वाली कोई विदेशी कंपनी शामिल है, किन्तु फिलहाल अमल में रहने वाली किसी विधि के अधीन परिसमाप्त की जा रही कोई कंपनी शामिल नहीं है ;

(घ) "जमा" से किसी कंपनी के पास जमा रखी गयी कोई रकम अभिप्रेत है और उस में किसी कंपनी द्वारा उधार ली गयी कोई राशि शामिल है, किन्तु निम्नलिखित शामिल नहीं है :—

(i) अनुच्छेद 2 के उप अनुच्छेद (2) में उल्लिखित किसी लैन देन या व्यवस्था के अधीन प्राप्त या एकत्र की गयी कोई रकम,

(ii) कोई ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त की गयी हो या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटी कृत हो अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी विदेशी सरकार या किसी दूसरे विदेशी नागरिक, प्राधिकारी या व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण,

(iii) किसी बैंकिंग कंपनी से या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बैंकिंग संस्था से या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 में परिभाषित तदनुरूप किसी नये बैंक से या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख ii) में परिभाषित किसी सहकारी बैंक से प्राप्त की गयी कोई रकम ;

(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित किसी राज्य वित्तीय निगम या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या नौवहन विकास निधि समिति या भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय पुनर्वास औद्योगिक निगम लिमिटेड या बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 के अधीन गठित बिजली बोर्ड या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड या कृषि वित्त निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड या इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाने वाली किसी दूसरी वित्तीय संस्था से प्राप्त किया गया कोई ऋण ;

(V) किसी कंपनी द्वारा किसी दूसरी कंपनी से प्राप्त की गयी कोई रकम ;

(Vi) किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऋण प्राप्त करने के समय पर कंपनी का निदेशक था या है, प्राप्त की गयी कोई रकम या किसी निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारियों से प्राप्त की गयी कोई रकम —

बशर्ते की इन निदेशों के प्रारंभ के दिन या प्रारंभ के बाद प्राप्त की गयी किसी रकम के मामले में, जिस व्यक्ति से रकम प्राप्त की गयी हो उसने रकम प्राप्त किये जाने के समय पर कंपनी को कोई ऐसी लिखित घोषणा पेश की हो कि वह रकम उस व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमा राशि स्वीकार कर प्राप्त की गयी निधियों में से दी नहीं गयी है ;

(Vii) कंपनी के किसी कर्मचारी से जमानती जमा के रूप में प्राप्त की गयी कोई रकम ;

(Viii) कोई रकम जो किन्हीं शेयरों या स्टाक या किन्हीं बांडों या डिबेंचरों (ऐसे बांड या डिबेंचर कंपनी की आस्तियों पर प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार द्वारा रक्षित रहते हैं) में अभिदान के रूप में उक्त शेयरों, स्टाक, बांडों या डिबेंचरों या आबंटन होने तक प्राप्त की गयी है और कोई रकम जो कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुसार अग्रिम रूप में शेयरों की बुलायी गयी राशि के रूप में प्राप्त की गयी है, जब तक कि ऐसी रकम कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अधीन सदस्यों को वापस अदा करने योग्य नहीं है ;

(छ) "जमाकर्ता" में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसने कोई ऋण दिया है;

(च) "अग्रणी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो चिट या कुरि करार या किसी दूसरी योजना या व्यवस्था के अधीन चिट या कुरि या ऐसी योजना या व्यवस्था के संचालन का उत्तरदायी है ;

(छ) "निर्बाध प्रारक्षित निधियां" में कंपनी के तुलन-पत्र में या लाभ हानि लेखे में दिखायी या प्रकाशित की गयी ऐसी सारी रकम जो किसी सामान्य या अनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए रख ली गयी है और आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 की उपधारा (2) या आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उप धारा (3) के अधीन निर्मित कोई संविधिक विकास छूट प्रारक्षित निधि या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 33अ की उपधारा (3) के अधीन या फिलहाल अमल में रहने वाली किसी दूसरी विधि के अधीन निर्मित विकास छूट की कोई प्रारक्षित निधि शामिल है, किन्तु उन में मूल्यह्रास और नवीकरण प्रारक्षित निधियां या अन्य ऐसी प्रारक्षित निधियां शामिल नहीं हैं जिन्हें कंपनी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित करे या निर्धारित करने की घोषणा करे ;

(ज) "बीमा कंपनी" से कोई ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 के अधीन किसी भी प्रकार के बीमा कारोबार के लिए पंजीकृत है ;

(झ) "विविध गैर बैंकिंग कंपनी" से इन निदेशों के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के कारोबारों में से कोई कारोबार चलाने वाली कंपनी अभिप्रेत है ;

(ङ) इसमें प्रयुक्त, किन्तु परिभाषित न किये गये और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किये गये किन्हीं दूसरे शब्दों या अभिव्यक्तियों के क्रमशः वे तात्पर्य होंगे जो उन के लिए उक्त अधिनियम में निर्धारित किये गये हैं ;

(च) जिस तारीख से कोई विज्ञापन जारी किया जाता है उस तारीख के बारे में इन निदेशों के उद्देश्यों के लिए यह माना जाएगा कि वह—

(i) यदि विज्ञापन किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वह तारीख होगी जब वह इस प्रकार प्रकाशित किया जाता है, और

(ii) यदि विज्ञापन किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता तो वह तारीख होगी जब उसका मज़मून कंपनी के प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कंपनी का कारोबार इन निदेशों के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित प्रकार का है तो उस पर रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा ।

परन्तु किसी ऐसे प्रश्न के संबंध में निर्णय पर पहुंचने के पहले रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विचारार्थ विषयों और परिस्थितियों पर ध्यान देगा, अर्थात् :—

(i) उसके द्वारा संचालित कारोबार का स्वरूप जिस में उसके वित्त के स्रोत शामिल हैं और उस की निधियों का उपयोग ;

(ii) उसके संस्थागत ज्ञापनपत्र के संबंधित उपबन्ध ; और

(iii) उसकी आय का स्वरूप और स्रोत ।

भाग II—जमाराशियों की स्वीकृति

4. **विविध गैर बैंकिक कंपनियों द्वारा जमा राशियों की स्वीकृति** : 1 सितम्बर 1973 को या 1 सितंबर 1973 से—

(क) कोई विविध गैर बैंकिंग कपनी मांग पर या नोटिस पर वापस अदा की जाने वाली या ऐसी जमाराशि की प्राप्ति की तारीख से छः महीने से कम अवधि के बाद वापस अदा की जाने वाली कोई जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी या इन निदेशों के लागू होने की तारीख के पहले या बाद अपने द्वारा प्राप्त की गयी किसी जमा राशि का नवीकरण तब तक नहीं करेगी जब तक नवीकरण के बाद ऐसी जमा राशि ऐसे नवीकरण की तारीख से छः महीने के बाद वापस अदा करने योग्य न हो,

(ख) कोई विविध गैर बैंकिंग कपनी कोई ऐसी जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी जो उसी वर्ग (उसके बाद निर्दिष्ट) के अंतर्गत आने वाली पहले ही प्राप्त की गयी और कंपनी की बहियों में बकाया रहने वाली किन्हीं दूसरी जमाराशियों के साथ निम्नलिखित जमाराशि वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के संबंध में इसके बाद निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है, अर्थात्

(i) किसी अरक्षित डिबेंचर पर या किसी शेयरधारी से प्राप्त किसी जमाराशि (जो अनुच्छेद 3 के उप अनुच्छेद (1) के खंड (घ) के उप खंड (VI) के परंतुक में उल्लिखित घोषणा पर अपने शेयरधारी से निजी कंपनी द्वारा

प्राप्त जमा राशि नहीं होती) या ऐसे व्यक्ति द्वारा गारंटी कृत जमाराशि जो गारंटी प्रदान करते समय कंपनी का निदेशक था या है, के मामले में, कंपनी की चुकत पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत ;

(ii) किसी दूसरी जमाराशि के मामले में, कंपनी की चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल जमा राशि पच्चीस प्रतिशत ।

परन्तु खंड (ख) के उद्देश्य के लिए "जमा राशि" में कंपनी की आस्तियों या उन के किसी अंश को बंधक या गिरवी रखकर प्राप्त किया गया कोई ऋण शामिल नहीं होगा—

(क) यदि ऋण के लिए जमानत के रूप में प्रभारित आस्तियों के बाजार मूल्य के कम से कम पच्चीस प्रतिशत का मार्जिन है और

(ख) यदि बीस से अधिक व्यक्तियों को ऋण के लिए जमानत के रूप में वे ही आस्तियां दी जाती हैं, यथास्थिति, बंधक या गिरवी किसी न्यासी के पक्ष में भी निर्मित की जाती है, जो या तो कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक या कोई ऐसी निष्पादक या न्यासी कंपनी हो जो ऐसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक की नियंत्रित कंपनी है और कंपनी ने यथास्थिति अनुसूचित वाणिज्य बैंक या उसकी नियंत्रित कंपनी के पक्ष में न्यास विलेख का निष्पादन किया है ;

परन्तु, यदि रिज़र्व बैंक इस बात से आश्वस्त हो कि किसी कंपनी द्वारा निर्मित बंधक या गिरवी लोकहित में नहीं है तो रिज़र्व बैंक यह घोषणा कर सकता है कि ऐसे बंधक या गिरवी द्वारा प्राप्त की जाने वाली जमाराशियों तब थी जब जमाराशियों के रूप में मानी जायेंगी, और पहले परन्तुक की सुविधा प्राप्त करने योग्य नहीं होंगी।

5. **विविध गैर बैंकिंग कंपनियों की वर्तमान जमा राशियों के संबंध में उपबंध.**—(1) जहां, 1 सितम्बर 1973 को कारोबार के प्रारंभ के समय किसी विविध गैर बैंकिंग कंपनी की अनुच्छेद 4 के खंड (ख) के क्रमशः उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रकारों की कुल जमाराशियां उसकी चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हैं तो ऐसी कंपनी यह व्यवस्था करेगी कि—

जब कभी जमाराशियां अदायगी योग्य होती हैं तब जमाराशियों को वापस अदा कर या किसी ऐसे दूसरे प्रकार से जो इस उपबंध का पालन करने के लिए आवश्यक होगा ;

(क) उक्त अधिक राशि की कम से कम एक तिहाई को 1 अक्तूबर 1974 के पहले कम कर दिया जायेगा ;

(ख) उक्त अधिक राशि की कम से कम दूसरी एक तिहाई को 1 अक्तूबर 1975 के पहले कम कर दिया जायेगा ।

(ग) उक्त अधिक राशि का यानि कोई शेष अंश हो तो उसे 1 अक्तूबर 1976 के पहले कम कर दिया जायेगा ।

(2) प्रत्येक विविध गैर बैंकिंग कंपनी, जिसके पास 1 सितंबर 1973 को कारोबार शुरू करते समय उप अनुच्छेद (1) में उल्लिखित और मांग पर अथवा सूचना पर या ऐसी जमा-राशियों की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने से कम अवधि के बाद प्रतिदेय जमाराशि प्रकारों में से एक या अधिक प्रकार की कोई जमा रकम हो—

(क) यदि ऐसी जमा रकम की कुल राशि कंपनी की चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कदम उठाकर 1 अक्तूबर 1974 के पहले यह व्यवस्था करेगी कि उक्त जमा रकम या तो वापस अदा की जाये या परिवर्तित या नवीकृत की जाये जिससे कि उसे परिवर्तन या नवीकरण की तारीख से 6 महीने के बाद प्रतिदेय किया जा सके ;

(ख) यदि ऐसी जमा रकम की कुल राशि कंपनी की चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कदम उठाकर यह व्यवस्था करेगी कि —

(i) 1 अक्तूबर 1974 के पहले चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत तक के बराबर तक की कम से कम जमा-राशियों को ;

(ii) 1 अक्तूबर 1975 के पहले ऐसी जमा राशियों की शेष राशि जो के कम से कम आधे अंश को ; और

(iii) 1 अक्तूबर, 1976 के पहले यदि ऐसी जमाराशियों का कोई शेष अंश हो तो उसे या तो वापस अदा किया जाये या परिवर्तित या नवीकृत किया जाये जिससे कि परिवर्तन या नवीकरण की तारीख से 6 महीने के बाद उन्हें प्रतिदेय किया जा सके।

व्याख्या : इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 4 के उद्देश्यों के लिए चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशि का निर्धारण करते समय कंपनी के तुलन-पत्र में परिदर्शित चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशि के तुलन-पत्र में दिखाई गई संचित हानि शेष की राशि को, यदि कोई हो, घटाया जायेगा।

6. **जमाराशियों की प्रार्थना करते हुए दिये जाने वाले विज्ञापनों में निदेशनीय विवरण.**— (1) कोई विविध गैर बैंकिंग कंपनी और ऐसी कंपनी की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति जमाराशियों की प्रार्थना या आमंत्रण करते हुए कोई विज्ञापन तब तक जारी नहीं करेगा या करवायेगा जब तक कि ऐसा विज्ञापन। कंपनी के निदेशक मण्डल या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के प्राधिकार पर और उस के नाम पर जारी नहीं किया जाये और उस में उस तारीख का उल्लेख नहीं हो जब उक्त निदेशक मण्डल या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक ने विज्ञापन का मजमून अनुमोदित किया और जब तक, इसके अलावा, उसमें निम्नलिखित जानकारी निहित नहीं हो, अर्थात् —

(क) कंपनी के निगमन की तारीख ,

(ख) कंपनी के प्रबंध का संक्षिप्त विवरण,

(ग) कंपनी द्वारा और यदि उसकी सहायक कंपनियां हों तो उन के द्वारा वास्तव में किये जानेवाले कारोबार का स्वरूप

(घ) कर की व्यवस्था करने के पहले या बाद कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लाभ,

(ङ) उक्त वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित किये गये लाभांश,

(च) निम्नलिखित शीर्षों के अधीन लेखा परीक्षित अद्यतन तुलनपत्र की तारीख को (तारीख भी दी जाये) कंपनी से संबंधित विवरण, अर्थात्—

(i) चुकता पूंजी,

(ii) निर्बाध प्रारक्षित निधियां ,

(iii) जमा राशियां ,

(iv) कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया और कंपनी की सम्पत्ति के बंधक या चलाभार सहित रेहन या किसी दूसरे प्रकार के ग्रहणाधिकार से प्राप्त किया गया कोई ऋण या अग्रिम; इस में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293 में परिभाषित अस्थायी ऋण शामिल है ।

(v) उपर्युक्त अस्थायी ऋणों सहित कंपनी द्वारा उधार ली गयी कोई दूसरी रकम, और

(vi) संचित हानि-शेष, यदि कोई हो।

(2) 1 जनवरी, 1974 को और उस तारीख से कोई विविध गैर बैंकिंग कंपनी सिवाय उस संदर्भ के जब जमाकर्ता कंपनी द्वारा दिये जाने वाले फ़ार्म पर लिखित आवेदन पेश करे, अन्यत्र कोई जमा राशि स्वीकृत नवीकृत या परिवर्तित नहीं करेगी ; उक्त फार्म में इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट सभी विवरण निहित होने चाहिये।

7. **जमा कर्ताओं को रसीद देना.**—(1) प्रत्येक विविध गैर बैंकिंग कंपनी ने इन निदेशों के प्रारंभ की तारीख के पहले या बाद जमा राशि के रूप में जो रकम प्राप्त की है या प्राप्त करेगी, ऐसी प्रत्येक राशि के लिये वह प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट को, यदि पहले ही कोई रसीद न दी गई हो तो, रसीद देगी ।

(2) उक्त रसीद किसी ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगी जो इस संदर्भ में कंपनी की ओर से कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हो और उस रसीद में जमाराशि की तारीख, जमाकर्ता के नाम, जमा के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त की गयी राशि, अक्षरों में अंकों में, उस पर देय ब्याज की दर और जमाराशि की प्रतिदेय तारीख का उल्लेख किया जायेगा ।

8. **जमाराशियों का रजिस्टर.**—(1) प्रत्येक विविध गैर बैंकिंग कंपनी एक या अधिक रजिस्टर रखेगी जिस में/जिनमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग अलग दर्ज किये जायेंगे ।

(क) जमाकर्ता का नाम और पता,

(ख) प्रत्येक जमा की तारीख और रकम,

(ग) प्रत्येक जमा की अवधि और नियत तारीख,

(घ) प्रत्येक जमा पर उपार्जित ब्याज या प्रीमियम की तारीख और रकम,

(ङ) प्रत्येक वापसी अदायगी की तारीख और रकम चाहे वह अदायगी मूल जमा की हो या ब्याज अथवा प्रीमियम की हो,

(च) जमा से संबंधित कोई दूसरे विवरण ।

(2) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपर्युक्त रजिस्टर रखा जायेगा/जायेंगे और रजिस्टर में जिस जमाराशि के विवरण दिये गये हैं उसकी वापसी अदायगी या नवीकरण से संबंधित अंतिम प्रविष्टि जिस वित्तीय वर्ष में की गई हो उसके बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्षों की अवधि तक उस रजिस्टर/उन रजिस्टरों को अच्छी दशा में सुरक्षित रखा जायेगा ।

परन्तु यदि कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखा बहियों को उस उपधारा के परन्तुक के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रखती है तो ऐसे दूसरे स्थान पर उपर्युक्त रजिस्टर का रखा जाना इस खण्ड का पर्याप्त पालन होगा, बशर्ते कि कंपनी उक्त उपधारा के परन्तुक के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई नोटिस की एक प्रतिलिपि इस प्रकार फाइल किये जाने के सात दिन के अंदर रिजर्व बैंक को भेज दे ।

9. **निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी.**—इन निदेशों के प्रारंभ की तारीख के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उपधारा (1) के अधीन साधारण बैठक में कंपनी के समक्ष पेश की जाने वाली निदेशक मण्डल की प्रत्येक रिपोर्ट में किसी विविध और बैंकिंग कंपनी के मामले में निम्नलिखित विवरण या जानकारी सम्मिलित की जायेगी, अर्थात् :

(क) जमाकर्ता के साथ किये गये करार या इन निदेशों के उपबन्धों में से जो भी लागू हो उसके/उनके अनुसार जिस तारीख को जमाराशि यथास्थिति अदायगी किये जाने योग्य या नवीकरणीय होती हो उस तारीख के बाद कंपनी के जिन जमाकर्ताओं की जमा रकम का दावा जमा कर्ताओं ने नहीं लिया हो या कंपनी द्वारा जिन जमाकर्ताओं की जमा रकम अदा नहीं की गयी हो उन जमाकर्ताओं की कुल संख्या, और

(ख) जमाकर्ताओं की देय और उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित तारीखों के बाद दावा किये बिना या अदा किये बिना रहने वाली रकम ।

(2) जिस वित्तीय वर्ष से रिपोर्ट संबंधित हो उसकी अंतिम तारीख तक की स्थिति के संबंध में उक्त विवरण और जानकारी दी जाये और यदि पिछले उप अनुच्छेद के खंड (ख) में उल्लिखित प्रकार से दावा किये बिना या वितरित किये बिना रहने वाली रकम कुल 5 लाख रुपयों से अधिक हो तो रिपोर्ट में जमाकर्ताओं को देय और दावा किये बिना या वितरित किये बिना रहने वाली रकम की अदायगी के लिये निदेशक मण्डल द्वारा की गई और किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाइयों का एक विवरण भी जोड़ा जाये ।

भाग III—विविध

10. **रिजर्व बैंक को पेश किये जाने वाले तुलन पत्र और लेखों की प्रतिलिपियां.**—प्रत्येक विविध गैर बैंकिंग कंपनी रिजर्व बैंक को साधारण बैठक में कंपनी द्वारा पारित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख तक का एक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और उस वर्ष का लेखा परीक्षित

लाभ-हानि लेखा ऐसी बैठक के बाद पन्द्रह दिन के अन्दर पेश करेगी, यदि उसने पहले ही पेश नहीं किया हो।

11. **रिज़र्व बैंक को पेश की जाने वाली विवरणियां** —(1) अनुच्छेद 10 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक विविध गैर बैंकिंग कंपनी इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित तारीखों तक की अपनी स्थिति के संबंध में उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट जानकारी देते हुए रिज़र्व बैंक को एक विवरणी पेश करेगी।

(2) (i) प्रत्येक विविध गैर बैंकिंग कंपनी इन निदेशों के अमल में आने या कारोबार के प्रारंभ होने, इन में से जो भी बाद में हो, से एक महीने के अंदर निम्नलिखित सूची देते हुए एक लिखित विवरण रिज़र्व बैंक को पेश करेगी —

(क) उसके प्रधान अधिकारियों के नाम और अधिकारिक पदनाम ;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम और आवासी पते,

(ग) उप अनुच्छेद (i) में निर्दिष्ट विवरणियों पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर।

(ii) यदि इस उपअनुच्छेद के खंड (i) में उल्लिखित सूची में कोई परिवर्तन हो तो उसे ऐसा परिवर्तन होने के एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाये।

12. **गैर बैंकिंग कंपनी विभाग को पेश किया जाने वाला तुलनपत्र, विवरणियां आदि**.— इन निदेशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक को जो विवरणियां या जानकारी पेश की जानी या भेजी जानी चाहिये उन्हें/उसे रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, 15, नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता–1 को या उपर्युक्त विभाग के किसी ऐसे दूसरे कार्यालय को पेश किया जाए या भेजा जाए जहां पेश करने या भेजने के लिए कंपनी को निदेश दिया गया हो।

13. **छूट**.—यदि रिज़र्व बैंक किसी कठिनाई को दूर करने के लिए या किसी दूसरे उचित और पर्याप्त कारण से ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह सामान्य रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन जो रिज़र्व बैंक लगाये, इन निदेशों के सभी उपबंधों या किसी उपबंध का पालन करने की अवधि को बढ़ा सकता है या किसी कंपनी या कंपनी वर्ग को उनसे/उससे छूट दे सकता है।

14. **कतिपय दूसरे निदेशों का लागू न होना**.—गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1966 या गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1966 में समाविष्ट कोई निदेश इन निदेशों के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित प्रकार की गैर बैंकिंग संस्था पर लागू नहीं होगा:।

गोपनीय फार्म–एमएनबीसी

अनुसूची

(कृपया तारीख 23 अगस्त 1973 की अधिसूचना सं० डीएनबीसी 21/डीजी(एस)–73 का अनुच्छेद 11 देखें)

(यह फार्म सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को भरना चाहिए)

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया

गैर बैंकिंग कंपनी विभाग

कलकत्ता–I

भाग 1

31 मार्च 197 /30 सितम्बर 197 को विविध गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमा राशियां

संकेत सं० (1) कंपनी का नाम

(2)(क) पंजीकृत कार्यालय

(ख) प्रधान/प्रशासकीय कार्यालय* का पूरा पता

(3) किस राज्य में कंपनी पंजीकृत है

(4) शाखाओं/कार्यालयों की संख्या@

(5) हैसियत*: निजी/सार्वजनिक सीमित कंपनी/किसी विदेशी कंपनी की शाखा

(6) कंपनी की पंजीकरण संख्या

(7)(क) निगमन

(ख) कारोबार के प्रारंभ की तारीख

(8) कंपनी का वित्तीय वर्ष

(9) कंपनी के बैंकर(रों) का (के) नाम और पता(पते)

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

@जिन स्थानों पर कंपनी की शाखाएं/कार्यालय स्थित हैं उनके नाम और पते देते हुए एक सूची संलग्न की जानी चाहिए

विवरणी भरने के लिए अनुदेश

1. कंपनी की 31 मार्च और 30 सितंबर तक की स्थिति के संबंध में क्रमशः साल में दो बार 30 जून और 30 दिसंबर के पहले विवरणी पेश की जानी चाहिए, चाहे कंपनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कुछ भी क्यों न हो ।

टिप्पणी : यह विवरणी भरे जाने के बाद मुख्य अधिकारी, गैर बैंकिंग कंपनी विभाग रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया, 15, नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता–1 को भेजी जानी चाहिए ।

2. विवरणी पेश किये जाने में वार्षिक लेखों की परीक्षा को अंतिम रूप देना/समाप्ति जैसे किसी भी कारण से विलंब नहीं किया जाना चाहिए ।

3. किसी ऐसी कंपनी के मामले में जिससे यह विवरणी पेश किये जाने की अपेक्षा की जाती है, किन्तु जो अग्रणी के रूप में चिट निधि का कारोबार भी करती है, चिट या कुरि व्यवस्थाओं के अधीन अभिदानों के रूप में प्राप्त की गयी रकमों को जमाराशियों के रूप में नहीं माना जायगा; देखिए विविध गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1973 के अनुच्छेद 3(1)(घ) का खंड (i) (इसके बाद विवरणी में निदेशावली के रूप में उल्लिखित); देखिए 23 अगस्त 1973 की अधिसूचना सं० डीएनबीसी 21/डीजी(एस)–73 ।

4. निदेशावली के अनुच्छेद 3(1)(घ) में उल्लिखित कतिपय अपवादों के साथ अरक्षित उधारों को जमाराशियों के रूप में माना जाता है ।

5. लेखों की संख्या वास्तविक अंकों में दी जानी चाहिए जब कि जमाराशियां हज़ारों रुपयों में दी जानी चाहिए । राशि निकटतम हज़ार में पूर्ण अंकों में दी जानी चाहिए और तीन शून्य हटा दिये जाने चाहिए । उदाहरण के लिए 4,560 रुपयों की राशि 5 के रूप में दर्शायी जानी चाहिए, न कि 4.6 या 5000 के रूप में ।

6. यदि निदेशावली के अनुच्छेद 3(1)(घ) के (i)से (viii) तक के उप खंडों में 'जमाराशि' से विशिष्ट रूप से अलग की गयी कोई राशि प्राप्त की जाए तो उसे विवरणी के इस भाग के खंड (i), (ii) और (iii) में मद (IV)के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के सामने वर्गीकृत करना चाहिए ।

7. विवरणी के खंड (ii) में सूचित की गयी जमाराशियों का अवधिवार वर्गीकरण, जिन अवधियों के लिए वे मूलत: प्राप्त की गयी/अंत में नवीकृत की गयीं उनके अनुसार, न कि उन अवधियों के अनुसार जब उन्हें 31 मार्च या 30 सितंबर अर्थात विवरणी की तारीखों से जारी रहना चाहिए, मदI और II के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के सामने किया जाना चाहिए । जिन रकमों की पगाई की कोई निर्दिष्ट अवधि न हो या जो रकमें किश्तों में प्रतिदेय हों उन्हें उपर्युक्त मदों के अधीन क्रमश: संकेत सं० 1, 10 और 18 के सामने दिखाना चाहिए और स्थिति की व्याख्या सही रूप से पाद टिप्पणियों में की जानी चाहिए ।

8. जमा राशियों और छूट प्राप्त उधारों और ब्याज रहित प्राप्तियों को इस भाग के खंड (iii) में मद I, II, III और IV के अधीन क्रमश: संकेत सं० 1, 18, 15 और 22 के सामने वर्गीकृत करना चाहिए ।

9. जिन प्रारक्षित निधियों को कंपनी के तुलन-पत्र में ऐसा दिखाया जाता हो कि उन्हें किसी **सामान्य** या **अनिर्दिष्ट** उद्देश्य के लिए रखा जाता है, केवल उन्हें "निर्बाध प्रारक्षित निधियों" के रूप में मानना चाहिए और विवरणी के इस भाग और भाग ii के खंड (iv) में दिखाना चाहिए। जिस प्रारक्षित निधि का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में दिखाया गया नाम यह संकेत करता है कि उसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है, ऐसी किसी भी दूसरी प्रारक्षित निधि को, चाहे जिस किसी भी वास्तविक उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया हो, हिसाब में नहीं लेना चाहिए । निम्नलिखित प्रारक्षित निधियां सामान्य रूप से निर्बाध प्रारक्षित निधियों के रूप में मानी जाती हैं:

(i) सामान्य प्रारक्षित निधि

(ii) पूंजीगत प्रारक्षित निधि
(iii) पूंजीगत परिशोधन प्रारक्षित निधि
(iv) अकस्मिकता प्रारक्षित निधि
(v) सांविधिक विकास छूट प्रारक्षित निधि या विकास छूट प्रारक्षित निधि
(vi) शेयर---प्रीमियम लेखे में बकाया
(vii) सामान्य प्रारक्षित निधि के रूप में रहनेवाला अधिशेष

10. कंपनी के प्रधान अधिकारियों के नामों और आधिकारिक पदनामों और निदेशकों के नामों और मतों की एक सूची संलग्न की जानी चाहिए यदि ऐसी सूची निदेशावली के अनुच्छेद 11(2) की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया को अब तक भेजी नहीं गयी हो ।

11. विवरणी पर कंपनी के प्रबन्धक (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित) द्वारा और यदि ऐसा कोई प्रबन्धक नहीं हो तो कंपनी के प्रबन्ध निदेशक या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक को पेश किये गये हों हस्ताक्षर किये जाने चाहिए । यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में पेश नहीं किये गये हों तो विवरणी पर अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए और उसके नमूना हस्ताक्षर अलग से पेश किये जाने चाहिए ।

12. यदि विवरणी के किसी खंड में उल्लेख करने के लिए कोई विषय नहीं हो तो उस पर 'कुछ नहीं' अंकित किया जाना चाहिए और उसके साथ संलग्न प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत अधिकारी के प्रमाणपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

खंड (i)

बकाया जमाराशियां, आदि

31 मार्च 197
————————को
30 सितम्बर 197

संकेत सं०	जमाराशियां, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	लेखों की संख्या	रकम (हजार रुपयों में)
1	2	3	4
	I. निदेशावली के अनुच्छेद 4(ख)(i) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियां :		
1	(क) अरक्षित डिबेंचर		
2	(ख) जमाराशियां जिनमें शेयरधारियों से (जो किसी निजी सीमित कंपनी के शेयरधारी नहीं होते) प्राप्त अरक्षित ऋण शामिल हैं		
3	(ग) जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत पर गारंटीकृत अरक्षित ऋण शामिल हैं		

1	2	3	4
4	(घ) जोड़ (क+ख+ग)		
	I. निदेशावली के अनुच्छेद 4(ख)(ii) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशियां :		
5	(ङ) सावधि जमाराशियां		
5अ	III (ङङ) अंशदानों या अभिदानों के रूप में या यूनिटों, प्रमाणपत्रों या दूसरे प्रपत्रों की बिक्री के द्वारा या कंपनी द्वारा प्रारंभ की गयी किसी योजना या व्यवस्था के संदर्भ में या उसके लिए सदस्यता शुल्कों या प्रवेश शुल्कों या सेवा प्रभारों के रूप में एक मुश्त में या किश्तों में एकत्र की गयी जमाराशियों जैसी कोई दूसरी जमाराशियां		
6	(च) जोड़ (ङ+ङ+ङ)		
7	(छ) (I)+(II)+(III) का जोड़		
	IV. छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता (निदेशावली के अनुच्छेद 3(1)(घ) (i) से (viii) तक देखें :		
8	(ज) निदेशावली के अनुच्छेद 2(2) में उल्लिखित कार्य या व्यवस्था के अधीन प्राप्त या एकत्र की गयी रकम		
9	(झ) निदेशकों** से प्राप्त रकम		
10	(ञ) निजी सीमित कंपनी के मामले में शेयरधारियों** से प्राप्त		
11	(ट) कर्मचारियों से प्राप्त जमानती जमाराशियां		
12	(ठ) मिश्रित पूंजी कंपनियों (उसी वर्ग की कंपनियों को मिलाकर) से प्राप्त रकम		
13	(ड) बैंकों और दूसरी निर्दिष्ट संस्थाओं से प्राप्त उधार		
14	(ढ) विदेशी स्रोतों से प्राप्त रकम		
15	(ण) रक्षितजमा राशियां [अनुच्छेद 4(ख) का पहला परन्तुक देखें]		
16	(त) दूसरे छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता		
17	(थ)(ज) से लेकर (त) का जोड़		
18	V. उपर्युक्त I, II, III और IV का जोड़		

**कृपया ध्यान दें कि अनुच्छेद 3(1) के खंड (घ) के उप खंड (vi) के परन्तुक में उल्लिखित घोषणा पर ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त रकम मात्र छूट प्राप्त है ।

खंड (ii)

जमाराशियों आदि की अवधि

31 मार्च 197
——————— को
30 सितम्बर 197

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार (कृपया अनुदेश सं० 7 देखें)	लेखों की संख्या	रकम (हजार रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0	I. अरक्षित डिबेंचरों के रूप में प्राप्त जमा-राशियां, अरक्षित ऋणों सहित शेयरधारियों से प्राप्त जमाराशियां [जो अनुच्छेद 3 (i) के खंड (घ) के उप खंड (vi) के परंतुक में उल्लिखित घोषणा पर किसी निजी सीमित कंपनी द्वारा अपने शेयर-धारियों से प्राप्त की गयी जमाराशियां नहीं हैं] और अरक्षित ऋणों सहित निदेशकों द्वारा गारंटीकृत जमाराशियां ।	1.	मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 3 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
		2.	3 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
		3.	6 महीने या अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . से कम अवधि में प्रतिदेय		
		4.	12 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . .		
		5.	24 महीने या अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . .		
		6.	36 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
		7.	60 महीने या अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		8.	1 से 7 तक का जोड़ [टिप्पणी सं० (i) देखें] ।	——— ———	——— ———
00	II. जमाराशियां अर्थात् सावधि जमाराशियां	9.	अतिदेय और/या दावा न की गयी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. उपर्युक्त संकेत सं० 9 के सामने उल्लिखित को छोड़कर मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .			
		11. 6 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .			
		12. 12 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .			
		13. 24 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .			
		14. 36 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .			
		15. 60 महीने या अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय . . .			
		16. 9 से 15 तक का जोड़ [टिप्पणी सं० (ii) देखें]	———	———	———
000	III अंशदानों या अभिदानों के रूप में या यूनिटों, प्रमाणपत्रों या दूसरे प्रपत्रों की बिक्री के द्वारा या कंपनी द्वारा प्रारंभ की गयी किसी योजना या व्यवस्था के संदर्भ में या उसके लिए सदस्यता शुल्कों या प्रवेश शुल्कों या सेवा प्रभारों के रूप में एक मुश्त में या किश्तों में एकत्र की गयी जमाराशियों जैसी कोई दूसरी जमाराशियां ।	17. अतिदेय और/या दावा न की गयी . . .			
		18. उपर्युक्त संकेत सं० 9 के सामने उल्लिखित को छोड़कर मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .			
		19. 6 महीने या अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय. .			
		20. 12 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			21. 24 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
			22. 36 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
			23. 60 महीने या अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय . . .		
			24. 17 से 23 तक का जोड़ [टिप्पणी सं० (iii) देखें]	———	———
0000	IV. छूट प्राप्त उधार और निजी समीति कंपनियों के मामले में शेयरधारियों** से या निदेशकों**, कर्मचारियों से जमानती जमा के रूप में प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता या मिश्रित पूंजी कंपनियों से प्राप्त रकम और दूसरे सभी छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां ।		25. मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
			26. नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
			27. नोटिस पर या अन्यथा 12 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
			28. नोटिस पर या अन्यथा 24 महीने या अधिक अवधि के बाद, परंतु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
			29. नोटिस पर या अन्यथा 36 महीने या अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय . . .		
			30. नोटिस पर या अन्यथा 60 महीने या अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय . . .		

1	2	3	4	5	6
		31	25 से 30 तक का जोड़ [टिप्पणियां सं० (IV) देखें]		
00000	V. I, II, III और IV का जोड़		(टिप्पणी सं० (V) देखें)		

**कृपया ध्यान दें कि अनुच्छेद 3(1) के खंड (ध) के उप खंड (i) के परंतुक में उल्लिखित घोषणा पर ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त रकम पात्र छूट प्राप्त है ।

टिप्पणी : (i) संकेत सं० 8 के जोड़ खंड (i) के संकेत सं० 4 के जोड़ों से मेल खाने चाहिए।

(ii) संकेत सं० 16 के जोड़ खंड (i) के संकेत सं० 5 के जोड़ों से मेल खाने चाहिए ।

(iii) संकेत सं० 24 के जोड़ खंड (i) के संकेत सं० 5अ के जोड़ों से मेल खाने चाहिए ।

(iv) संकेत सं० 31 का जोड़ खंड (i) के संकेत सं० 17 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

(v) मद सं० V का जोड़ खंड (i) की मद स० V के जोड़ से मेल खाना चाहिए ।

खण्ड (iii)

जमाराशियों, आदि की ब्याज दरें (दलाली को छोड़ कर)

31 मार्च, 197 ——— को
30 सितम्बर, 197

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	ब्याज दर	रकम (हजार रुपयों में)
1	2	3	4	5
0	I. अरक्षित डिबेंचरों के रूप में प्राप्त जमाराशियां, सुरक्षित ऋणों सहित शेयरधारियों से प्राप्त जमाराशियां [जो अनुच्छेद 3(I) के खंड (घ) के	1	5% और उससे कम	
		2	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		3	7% या अधिक, परन्तु 9% से कम	

1	2	3	4	5	6
	उप खंड ( ) के परन्तुक में उल्लिखित णा पर किसी निजी सीमित कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारियों से प्राप्त की गई जमाराशियां नहीं हैं] और अरक्षित ऋणों सहित निदेशकों द्वारा गारंटी कृत जमा - राशियां	4	9% या अधिक, परन्तु 10% से कम		
		5	10% या अधिक, परन्तु 12 % से कम		
		6	12% या अधिक		
		7	1 से 6 तक का जोड़		
00	II. जमाराशियां अर्थात् सावधि जमाराशियां	8	5% और उससे कम		
		9	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम		
		10	7% या अधिक, परन्तु 9% से कम		
		11	9% या अधिक, परन्तु 10% से कम		
		12	10% या अधिक, परन्तु 12% से कम		
		13	12% या अधिक		
		14	8 से 13 तक का जोड़		
000	III. अंशदानों या अभिदानों के रूप में यूनिटों, प्रमाणपत्रों या दूसरे प्रपत्रों की बिक्री के द्वारा या कम्पनी द्वारा प्रारम्भ की गई किसी योजना या व्यवस्था के संदर्भ में या उसके लिए सदस्यता शुल्कों या प्रवेश शुल्कों या सेवा प्रभारों के रूप में एक मुश्त में या किश्तों में एकत्र की गई जमाराशियों जैसी कोई दूसरी जमाराशियां	15	5% और उससे कम		
		16	5% से अधिक, परन्तु 7%		
		17	7% या अधिक, परन्तु 9% से कम है		
		18	9S% अधिक, परन्तु 10% से कम		
		19	10% या अधिक, परन्तु 12% से कम		
		20	12% या अधिक		
		21	15 से 20 तक का जोड़		

1	2	3	4	5
0000	IV छूट प्राप्त उधार और निजी सीमित कम्पनियों के मामले में शेयरधारियों से, इस खंड की मद I में उल्लिखित घोषणा पर निदेशकों से या जमानती जमा के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त राशियां जिन्हें जमा - राशियों के रूप में नहीं माना जाता या मिश्रित पूंजी कम्पनियों से प्राप्त रकम और दूसरे सभी छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां	22	5% और उससे कम	
		23	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		24	7% या अधिक, परन्तु 9% से कम	
		25	9% या अधिक परन्तु 10% से कम	
		26	10% या अधिक,परतु 12% से कम	
		27	12% या अधिक	
		28	22 से 27 तक का जोड़	
00000	V. I, II, III और IV का जोड़			

टिप्पणी : (I) संकेत सं० 7, 14, 21 और 28 के जोड़ खण्ड (I) के संकेत सं० 4, 5, 5अ और 17 के जोड़ों से मेल खाने चाहिए ।

(II) मद V का जोड़ खण्ड (I) की मद V के जोड़ से मेल खाना चाहिए ।

(III) इस खण्ड के उद्देश्यों के लिए "ब्याज" में कोई बोनस, प्रीमियम या दूसरा लाभ सम्मिलित होगा और इसके विवरण एक अलग टिप्पणी के रूप में दिये जाएं । यदि कोई दलाली अदा की गई हो तो उसके विवरण भी टिप्पणी में अलग से दिये जाने चाहिए ।

खंड (IV)

उच्चतम सीमाओं की तुलना में जमाराशियों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण

(अ) निदेशावली के अनुच्छेद 4 (ख) (i) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियों और निर्धारित उच्चतम सीमा

(राशि हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार के प्रारम्भ के समय की स्थिति	ऊपर उल्लिखित प्रकारों की कुल जमाराशियां अर्थात् खंड (i) के संकेत सं० 4 का जोड़	स्वाधिकृत निधियां				उच्चतम सीमा (अर्थात् शुद्ध स्वाधिकृत निधियों का 25 प्रतिशत)	उच्चतम सीमा के ऊपर अतिरिक्त जमाराशियां, यदि कोई हों (2-7)	*कृपया उल्लेख करें कि क्या अतिरिक्त जमाराशियों को निदेशावली के अनुच्छेद 5 (1) के अनुसार समायोजित किया गया है; यदि नहीं किया गया है तो ऐसा न करने के कारण दिये जाएं।
		चुकता पूंजी	निर्बाध प्रारक्षित निधियां	हानि-शेष यदि कोई हो	शुद्ध स्वाधिकृत निधियां (3+4)-5			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 सितम्बर, 1973								
1 अक्तूबर, 1974								
1 अक्तूबर, 1975								
1 अक्तूबर, 1976								

टिप्पणी : *1-9-1973 को कारोबार प्रारंभ करते समय विद्यमान अतिरिक्त जमाराशियों की कम से कम एक तिहाई को 1-10-1974 के पहले, 1-9-1973 को कारोबार प्रारंभ करते समय विद्यमान अतिरिक्त जमाराशियों की दूसरी एक तिहाई को 1-10-1975 के पहले और उक्त अतिरिक्त जमाराशियों का यदि कोई शेष अंश हो तो उसे 1-10-1976 के पहले कम कर देना चाहिए।

(आ) निदेशावली के अनुच्छेद 4(ख) (ii) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशियां और उच्चतम सीमा

(रकम हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार के प्रारम्भ के समय की स्थिति	ऊपर उल्लिखित प्रकार की कुल जमाराशियां अर्थात् खंड (i) के संकेत सं० 6 का जोड़	उच्चतम सीमा (अर्थात् शुद्ध स्वाधिकृत निधियों का 25 प्रतिशत; खण्ड (iV) (अ) का स्तंभ 7 देखें)	उच्चतम सीमा के ऊपर अतिरिक्त जमाराशियां यदि कोई हों (2)—(3)	*कृपया उल्लेख करें कि क्या अतिरिक्त जमाराशियों को निदेशावली के अनुच्छेद 5 (1) के अनुसार समायोजित किया गया है; यदि नहीं किया गया है तो ऐसा न करने के कारण दिये जाएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 सितम्बर, 1973				
1 अक्तूबर, 1974				
1 अक्तूबर, 1975				
1 अक्तूबर, 1976				

टिप्पणी : * कृपया इस खण्ड के भाग (अ) के साथ संलग्न टिप्पणी देखें ।

खंड (v)

निदेशावली के अनुच्छेद 4(ख) में उल्लिखित प्रकारों की ऐसी जमाराशियां जो मांग पर या नोटिस पर या 6 महीने से कम अवधि के बाद प्रतिदेय हैं, के विनियमन को दर्शानेवाला विवरण ।

(रकम हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार के प्रारम्भ के समय की स्थिति	उपर्युक्त प्रकारों की कुल जमाराशियां अर्थात् खंड (ii) के संकेत सं० 1, 2, 10 और 18 का जोड़	शुद्ध स्वाधिकृत निधियों का 25%; खंड (iv) (अ) का स्तम्भ 7 देखें	*कृपया उल्लेख करें कि क्या ऐसी जमाराशियों का निदेशावली के अनुच्छेद 5(2) के अनुसार विनियमित किया गया है; यदि नहीं किया गया है तो ऐसा न करने के कारण बताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1 सितम्बर, 1973			
1 अक्तूबर, 1974			
1 अक्तूबर, 1975			
1 अक्तूबर, 1976			

टिप्पणी : *(i) यदि कुल अनियमित जमाराशियां कम्पनी की शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं तो ऐसी जमाराशियों को 1–10–1974 के पहले विनियमित कर देना चाहिए ।

(ii) यदि कुल अनियमित जमाराशियां कम्पनी की शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक हैं तो उन्हें निम्न प्रकार विनियमित कर देना चाहिए :—

(क) कम से कम, शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत के बराबर जमाराशियों को 1–10–1974 के पहले,

(ख) शेष राशि के कम से कम आधे अंश को 1–10–1975 के पहले, और

(ग) शेष अंश को 1–10–1976 के पहले ।

भाग II

इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख को कम्पनी के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी की तुलनात्मक स्थिति

(रकम हजार रुपयों में)

विवरण	को तुलन-पत्र के अनुसार स्थिति	31-3-1973 ————को 30-9-1973 विवरणी के अनुसार स्थिति	घट बढ़ के यदि कोई कारण हों तो स्थूल रूप से उनका उल्लेख किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
अ—देयताएं :			
1. चुकता पूंजी			
2. निर्बाध प्रारक्षित निधियां			
3. हानि -शेष यदि कोई हो			
4. जमाराशियां *			
5. छूट प्राप्त उधार । प्राप्तियां			
आ.—आस्तियां :			
6. ऋण और अग्रिम			
7. शेयरों, डिबेंचरों और दूसरी प्रतिभूतियों में निवेश (बही मूल्य)			
8. किराया खरीद अग्रिम			
9. भूमि या घर खरीदने के लिए वित्तपोषण किये जाने के निमित ऋण			
10. आय के प्रमुख स्रोत (विवरण सहित)			
*31 मार्च 197 / 30 सितम्बर 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम कुल जमाराशियों और सम्बन्धित तारीख का उल्लेख नीचे किया जाए ;			
(।) वर्ष के दौरान अधिकतम जमाराशियां (हजार रुपयों में)			

(1)	(2)	(3)	(4)
(ii) किस तारीख को उपर्यक्त अधिकतम राशि विद्यमान थी ।			

@खंड (i) के संकेत सं० 7 का जोड़ यहां दिखाया जाए ।

@खंड (ii) के संकेत सं० 17 का जोड़ यहां दिखाया जाए ।

* प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/ अधिकृत अधिकारी

प्रमाणपत्र :— (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में सूचित की गई जमाराशियां कम्पनी की वास्तविक कारोबार सम्बन्धी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्राप्त या नवीकृत की गई हैं ।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि जहां कहीं आवश्यक हो, निदेशकों और शेयरधारियों** से निदेशावली के अनुच्छेद 3(1)(घ)(VI) के परन्तुक के अनुसार अपेक्षित इस आशय की लिखित घोषणाएं प्राप्त की गई हैं कि उनके द्वारा कम्पनी को वह रकम किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशि स्वीकार कर प्राप्त की गई निधियों मे से नहीं दी गई हैं ।

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियों की अभ्यर्थना करते समय कम्पनी ने निदेशावली के अनुच्छेद 6 (1) के उपबन्धों का पालन किया है ।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि निदेशावली के अनुच्छेद 6 के उप अनुच्छेद (2) में निर्धारित प्रणाली से 1 जनवरी 1974 को या उसके बाद जमाराशियां स्वीकृत, नवीकृत या परिवर्तित की गई हैं ।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने निदेशावली के अनुच्छेद 7 की अपेक्षाओं का पालन किया है ।

(6) यह प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियों के रजिस्टर निदेशावली के अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट प्रणाली से रखे जा रहे हैं ।

(7) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में दिये गए विवरण/ जानकारी की जांच कर ली गई है और उन्हें सभी प्रकार से सही और पूर्ण पाया गया है ।

(जो प्रमाणपत्र लागू नहीं हो उसे काट दीजिए ।)

तारीख :

*प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम : _____

पद नाम : _____

विवरणी के अनुलग्नक :

निम्नलिखित दस्तावेज विवरणी के साथ पेश किये जाने चाहिए यदि पहले ही उन्हें भेजा नहीं गया हो। संलग्न दस्तावेज के लिए उसके सामनेवाले कोष्ठ में टिक कीजिए और दूसरे मामलों में पेश किये जाने की तारीख का उल्लेख कीजिए।

(1) इस विवरणी की तारीख की कि निकटतम तारीख के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखे की एक प्रतिलिपि

(2) नमूना हस्ताक्षर कार्ड (कृपया अनुदेश सं० 15 देखें)

(3) निदेशावली के अनुच्छेद 6 के उप अनुच्छेद (2) में उल्लिखित आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि

(4) 31 मार्च 197 / 30 सितम्बर 197 को समाप्त हुई छमाही के दौरान यदि कोई विज्ञापन जारी किये गये हैं तो उनमें से प्रत्येक विज्ञापन की एक प्रतिलिपि

(5) अधिकारियों और निदेशकों की एक सूची (कृपया अनुदेश सं० 10 देखें)

(रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	
		IOB 110.67 2.6.16	संकेत देने वाले का नाम : जांच करनेवाले का नाम : पंच करने वाले का नाम : प्रमाणित करने वाले का नाम :

*जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए।

** केवल निजी सीमित कम्पिनियों के मामले में लागू है।

एस० एस० शिरालकर,
उप गवर्नर।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973